

2025/09/25

सेवा में,

बोंग (राज.)

विषय: अधिसूचना अनुसार बैंक का नाम परिवर्तित किये जाने बाबत।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय के काम में निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 07-04-2025 को जारी अधिसूचना संख्या CG-DL-E-07042025-262329 के अनुसार राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का समांमेलन स्वीकृत कर एकीकृत संस्था का नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक होगा। अधिसूचना के अनुसार में ग्रामीण बैंक का नाम राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वर्तमान रोडशन जमानती के खता संख्या 14 पर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में रहने एवं रेकॉर्ड है जिसमें अधिसूचना अनुसार राजस्थान ग्रामीण बैंक दर्ज करवाने की कृपा करावे।

दिनांक 25/09/2025 /
हस्ताक्षर प्रार्थी
राजस्थान प्रदेश
राजस्थान

महोदयजी,
भारत सरकार द्वारा दिनांक 07-04-2025 को जारी अधिसूचना संख्या CG-DL-E-07042025-262329 के अनुसार राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का समांमेलन स्वीकृत कर एकीकृत संस्था का नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक से प्रस्तावित संशोधन किया जाना उचित है।
श्री-अशोक निरीक्षक
राजस्थान प्रदेश
राजस्थान

कमांक: राजस्व/2025/.....
/ 2025
महोदयजी, बोंग (राज.)
कायालय उपखण्ड अधिकारी, बोंग (राज.)
दिनांक 25/09/2025

कमांक: राजस्व/2025/644.....
/ 2025
महोदयजी, बोंग (राज.)
कायालय उपखण्ड अधिकारी, बोंग (राज.)
दिनांक 27/9/25

हस्ताक्षर
राजस्थान प्रदेश
राजस्थान